



## सप्तदश बिहार विधान सभा

### पंचदश सत्र

### ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-23.07.2025 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

| क्र० सं० | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|----------|--------------|------|-------|
| 1        | 2            | 3    | 4     |

- डॉ. संजीव कुमार,  
स०वि०स०  
श्री राजेश कुमार सिंह,  
स०वि०स०  
श्री सिद्धार्थ पटेल,  
स०वि०स०  
श्री अमन भूषण हजारी,  
स०वि०स०  
श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ  
रिंकु सिंह,  
स०वि०स०  
श्री देवेश कांत सिंह,  
स०वि०स०

“बिहार प्रदेश अन्तर्गत गैरमजकूआ खास और टोपोलैंड जमीन की खरीद-बिक्री सहित लगान की रसीद वर्ष 2016 से पूर्व कटती थी। सरकार की रोक के बाद पिछले लगभग 9 वर्षों से वैसे गैरमजकूआ खास और टोपोलैंड जमीन जिन पर किसानों का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, का न तो लगान रसीद कट रहा है और न ही उस जमीन की बंदोबस्ती ही हो रही है। ऐसे में फिलहाल लगान रसीद नहीं कटने की वजह से एलपीसी नहीं बन रहा है तथा सरकार से मिलने वाली आपदा फसल क्षतिपूर्ति राशि सहित हर प्रकार के फसल से संबंधित अनुदान राशि से पूरे बिहार के लाखों किसान आज वंचित हैं। जमाबंदी और खरीद बिक्री पर रोक से किसान आहत हैं। यहां के अन्नदाता किसान किसी खास प्रयोजन में जमीन को बेच कर अपनी जरूरतें पूरा करते थे, उससे भी वंचित हैं।

राजस्व एवं  
भूमि सुधार

अतः गैरमजकूआ खास और टोपोलैंड जमीन का लगान रसीद काटने की अनुमति देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं।”

| क्र० सं० | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|----------|--------------|------|-------|
| 1        | 2            | 3    | 4     |

2. श्री भाई वीरेन्द्र,  
स०वि०स०  
श्री आलोक कुमार मेहता,  
स०वि०स०  
श्री चन्द्र शेखर,  
स०वि०स०
- “सहारा इंडिया में बिहार के 15 लाख 73 हजार निवेशकों के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल पर 10 हजार 154 करोड़ 74 लाख रुपये वापस लेने हेतु 18 लाख 75 हजार 606 आवेदन किया गया है, जिसका समय जून 2025 निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी तक निवेशकों को रुपया वापस नहीं किया गया है।  
अतः हम सदन के माध्यम से निवेशकों का रुपया वापस करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं।”
- वित्त

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-20/25-

591

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/वि०स०, पटना, दिनांक-22 जुलाई, 2025 ई०।

ख्याति सिंह

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

रविन्द्र पंडित  
22.7.25

(रविन्द्र पंडित)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-20/25-

591

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/वि०स०, पटना, दिनांक-22 जुलाई, 2025 ई०।

रविन्द्र पंडित  
22.7.25

(रविन्द्र पंडित)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-20/25-

591

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं वित्त विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/वि०स०, पटना, दिनांक-22 जुलाई, 2025 ई०।

रविन्द्र पंडित  
22.7.25

(रविन्द्र पंडित)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-20/25-

591

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

/वि०स०, पटना, दिनांक-22 जुलाई, 2025 ई०।

रविन्द्र पंडित  
22.7.25

(रविन्द्र पंडित)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

रविन्द्र पंडित